

कार्यालय ज्ञाप

जिला योजना 2011-12 की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने विषयक शासनादेश संख्या 1905/11(2)/11-05 (नजद)/2011, दिनांक 24.03.2009 एवं तत्पश्चात् शासनादेश संख्या 1905/11(2)/11-05 (नजद)/2011, दिनांक 16.04.2011 में निहित प्रावधानों के तहत अधिशासी अभियन्ता, प्रादेशीय स्तर, लोअर डिपार्टमेंट, बागेश्वर के पत्रांक 1501/जिओपी/2011-12, दिनांक 17.08.2011 द्वारा जिला स्तरीय सड़क विकास समिति की बैठक दिनांक 17.08.2011 को आयोजित की गई थी। जिसमें समिति द्वारा लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जेनपद बागेश्वर में मार्गों के नव निर्माण/पुनः निर्माण एवं झगरीकरण तथा पुल-पुलियों के निर्माण हेतु 810.00 लाख के कार्य अनुमोदन किये गये हैं तदनुसार अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लोअर डिपार्टमेंट बागेश्वर में नये मोटर मार्गों के निर्माण एवं झगरीकरण कार्य हेतु 310.32 लाख के कुल 102 कार्यों के लिए प्रारम्भिक आगणन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

जिला नियोजन एवं अनुभवण समिति की रिपोर्ट एवं शासनादेश सं0 205/XXVII (1)/2009 दिनांक 25.03.2009 तथा उक्त शासनादेश सं0 1905/11(2)/11-05(नजद)/2011 दिनांक 16.04.2011 में निहित प्रावधानों के अनुसार तथा तकनीकी समिति द्वारा आगणन की जाँच उपरान्त संलग्न सूची में उल्लिखित कुल 102 कार्यों के लिए उनके आगे अंकित धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है, कि स्वीकृति कार्यों के लिए अलग-अलग विस्तृत आगणन भरित कर एवं उस पर समस्त अधिकारी के प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त शरान द्वारा अनुमोदित धनराशि की सीमा तक ही व्यय किया जाये।

इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-22 जेआरपीए-0054-उप0 तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिचय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-आयोजनागत-800-अर्थ-01 जिला योजना-00-24 बृहत निर्माण कार्य के नामे जाता जायेगा।

उपरोक्त जिला योजना में उल्लिखित 102 कार्यों के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 1905/11(2)/11-05(नजद)/2011, दिनांक 16.04.2011 में दी गयी अन्य शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जाय एवं कार्यों की वित्तीय/भौतिक प्रगति नियमानुसार शासन को उपलब्ध करायी जाय।

(दीपक शर्मा)
जिलाधिकारी बागेश्वर

कार्यालय जिलाधिकारी, बागेश्वर

पत्रांक 1499/जिला योजना/2011-12 दिनांक 22/10/2011
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. सचिव, लोअर डिपार्टमेंट-उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. महालेखाकार(लेखा प्रथम) ओबेराय मोटर्स विस्डिंग, गाजरा देहरादून।
5. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, मनीताल।
6. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोअर डिपार्टमेंट, देहरादून।
7. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड-देहरादून।
8. मुख्य अभियन्ता, कुमायूँ क्षेत्र, लोअर डिपार्टमेंट, अल्मोड़ा।
9. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या कुमायूँ मण्डल-हल्द्वानी।
10. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लोअर डिपार्टमेंट, अल्मोड़ा।
11. अधिशासी अभियन्ता, प्रा0ख0, लोअर डिपार्टमेंट, बागेश्वर।
12. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
13. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी बागेश्वर।
14. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी-बागेश्वर।

(जिलाधिकारी)
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता निर्माण कार्य लोअर डिपार्टमेंट बागेश्वर के द्वारा
सहायक अभियन्ता निर्माण कार्य लोअर डिपार्टमेंट बागेश्वर के द्वारा
सहायक अभियन्ता निर्माण कार्य लोअर डिपार्टमेंट बागेश्वर के द्वारा

क्र.	विवरण	स्वीकृति लागत (लाख ₹ में)
1	दोफाड धरमधर मोटर मार्ग में स्थाकोट के पास 3मी० आर०सी०सी० स्क्वयर का निर्माण	3
2	कपकोट शाखा के रमोडी से नाम पथोली आंगती होकरा मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 1.00 किमी०	1.00
3	दारसिंग-नाथीसेरा से भस्तीला मिलाते मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी०	4.00
4	दोफाड धरमधर मोटर मार्ग के स्थाकोट होस्पिटल के पास से जलपानी तक मोटर मार्ग (नापभूमि में) 2 किमी०	0.50
10	गोगिना कीमू मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 7 किमी०	7.00
11	रमाडी भनधूरा मोटर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी०	3.00
12	भयू गुलेर मार्ग का निर्माण (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी०	3.00
13	कपकोट रस्त-धरमधर मोटर मार्ग का पहाड कटान (नापभूमि में)	0.50
14	कपकोट रस्त-धरमधर मोटर मार्ग के किमी० 0.9 में डामरीकरण का कार्य (प्रथम चरण) 2 Km	2.00
15	फुलेरा धनगिरी के पानी की टंकी से धनगज से सुन्दिल मिलाते मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी०	5.00
16	पी०एम०जी० मोटर मार्ग से धरमधर-तुचे सिगाती भाजखेत से स्थायी चक्याण लाक गिना (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 6 किमी०	6.00
17	कपकोट रस्त-धरमधर मोटर मार्ग का कार्य। 302 21-11	0.50
18	पोथिंग से तोली मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 7 किमी०	7.00
19	जगथानी से पोथिंग मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 15 किमी०	15.00
20	पुडकुनी से पोथिंग मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 8 किमी०	8.00
1	गजया फार्म से बीला तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 6 किमी०	6.00
2	हरसीला से सीमा तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी०	5.00
3	बी०डी०डी०के० मोटर मार्ग के किमी० 0.8 में जासती पुल के निर्माण का अवशेष कार्य।	0.50
4	पी०एम०जी०एस०वाई० धरमधर मोटर मार्ग से इारी बसनीला वास्ती (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी०	4.00
5	धरमधर एरा०आ०र० मोटर मार्ग का कार्य।	0.50
6	समेती-बैकोडी मोटर मार्ग का कार्य।	0.50
7	जासती से सीमा तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी०	5.00
8	तलाई इण्टर कांसेप्ट से सूची तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 7 किमी०	7.00
9	जोरखोले जरगाड झूलापुल से लखमारा गाँव तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 2 किमी०	2.00
10	सुरकाण्डा, पाण्डुरथल, गजिया तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 6 किमी०	6.00
11	कोट दूनी से सुरकाण्डा, तुती तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 10 किमी०	10.00
12	पैगाड से जरगाड झूलापुल से लखमारा गाँव तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 20 किमी०	20.00
13	सपाकुण्ड से चरखथूना लिंक मोटर मार्ग (नापभूमि) पहाड कटान हेतु 1 किमी०	1.00
14	पाली से एठाड तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 6 किमी०	6.00
15	बार तैदल मार्ग में सी०सी० का कार्य 1 Km	0.50
16	तीती लिंक से होकरा तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 15 किमी०	15.00
17	कमी तोली से दोबाड तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 7 किमी०	7.00
18	कपकोट कमी गासपुल के पास से थागधार, गाडा, खुरिक, खालीधार, ओखताधार कमी तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 15 किमी०	15.00
19	कपकोट कमी मार्ग से तल्ला गोदियाधार होत हुए राजसरा गाँव सुलमती तोली तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 8 किमी०	8.00
20	गडेरा के चकईधार से जालेख तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी०	5.00
21	ती मोटर मार्ग का विस्तार (नापभूमि में)	0.50

क्र.	कार्य का नाम	स्वीकृति लागू (लाख ₹ में)
42	कमेडीदेवी से चीनाखा तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 5 किमी०	3
43	भयू गुलेर मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी०	0.20
44	कपकोट-शामा मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी०	0.50
45	बैडा-मंडोडा जारसी से तोली मूलनाशरण मंदिर तक मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 3 किमी०	0.50
46	बागेश्वर-धरमधर से जलमामी से हॉस्पिटल तक 500मी० (नॉनभूमि में)	0.50
47	बागेश्वर-कपकोट मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 8 किमी०	1.00
48	असी-बंसवुना से बैडा मिलान मोटर मार्ग (वनभूमि हस्तान्तरण हेतु) 4 किमी०	0.50
योग		103.44
ग्रहणीय		310.32

1/20/85

Chf

निर्माण विभाग

आदेशाधीन न्यायपालिका
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
(संयोजक)